

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 256 / 15

संस्थापन दिनांक :- 16 / 05 / 15

फाइलिंग नं. 233504000692015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

सागर पिता जसवंतसिंह चौहान, उम्र 20 वर्ष
निवासी फारेस्ट कॉलोनी आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 27.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 04.05.2015 को दोपहर 01:00 बजे या उसके लगभग गोविंद कॉलोनी आरा मशीन के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 21½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 04.05.2015 को प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवारनुमा हथियार लेकर लहराता घूम रहा है तथा जनता को भयभीत कर रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एफ रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसने अभियुक्त से एक लोहे की तलवारनुमा पट्टी लिए मिला तथा अभियुक्त द्वारा तलवार रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 244/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र

प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.05.2015 को दोपहर 01:00 बजे या उसके लगभग गोविंद कॉलोनी आरा मशीन के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 21½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22. 11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.05.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ गोविंद कॉलोनी पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवारनुमा पट्टी लिए मिला जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 244/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने रवानगी सान्हा एवं वापसी सान्हा (प्रदर्श प्री-5) को प्रमाणित किया है तथा आर्टिकल ए1 को वही तलवार होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 अखिलेश (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी अखिलेश (अ.सा.-1) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अखिलेश (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई. आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर गोविंद कॉलोनी मौके पर जाना तथा अभियुक्त सागर से तलवारनुमा लोहे की पत्ती गवाहों के समक्ष जप्त करना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जप्तशुदा आयुध को मौके पर सीलबंद करने का कोई उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से जप्तशुदा आयुध को मौके पर नापजोप कर सीलबंद किया गया हो। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में जप्ती का समय 13 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में गिरफ्तारी का समय 13:05 बजे लेख है। मात्र पांच मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है। विवेचक साक्षी गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-2) के कथनों से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध धारदार था एवं मौके पर सीलबंद किया गया था और न ही कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट हुआ है तथा साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त से एक तलवारनुमा लोहे की पत्ती जप्त की गयी थी जबकि जप्ती पत्रक में लोहे की तलवार जप्त किया जाना लेख है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.05.2015 को दोपहर 01:00 बजे या उसके लगभग गोविंद कॉलोनी आरा मशीन के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 21½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सागर को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत

दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)